न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक जिलाधीश सूरतगढ़

पीठासीन अधिकारी :– मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण नं0 163/2018 GCMS:- 2018/00232 दायरा दिनांक 24.09.2018

1. गोपालराम पुत्र श्री खेताराम जाति मेघवाल निवासी चक 3 जी.एम.डी. (घमडिया) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. चूनीदेवी पत्नी स्व. श्री बनवारीलाल पुत्र श्री खेताराम जाति मेघवाल निवासी चक 3 जी. एम.डी. (घण्डिया) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. धन्नाराम पुत्र स्व. श्री बनवारीलाल पुत्र श्री खेताराम जाति मेघवाल निवासी चक 3 जी. एम.डी. (घण्डिया) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. क्मला पुत्री स्व. श्री बनवारीलाल पुत्र श्री खेताराम जाति मेघवाल निवासी चक 3 जी. एम.डी. (घण्डिया) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. बंशीलाल पुत्र स्व. श्री बनवारीलाल पुत्र श्री खेताराम जाति मेघवाल निवासी चक 3 जी. एम.डी. (घण्डिया) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. उदीदेवी पुत्री स्व. श्री खेताराम पत्नी श्री भादरराम जाति मेघवाल निवासी चक 3 एन. डी. तहसील अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. बिरमादेवी पुत्री स्व. श्री खेताराम पत्नी श्री बुधराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मुकन तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. गिरदावरी पुत्री स्व. श्री खोताराम पत्नी श्री भजनलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम मुकन तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. भागोदेवी पुत्री स्व. श्री खेताराम पत्नी श्री नारायणराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम दुलमानी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. विद्यादेवी पुत्री स्व. श्री खेताराम पत्नी श्री रामलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम मनीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
6. इमीलाल
7. प्रेम
8. बबलू

   पुत्रगण स्व.श्रीमति लिक्षमा पुत्री स्व. श्री खेताराम जाति मेघवाल निवासीयान ग्राम बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

9. कौशल्या देवी पुत्री स्व. श्रीमति लिक्षमा पत्नी श्री पन्नालाल जाति मेघवाल निवासी बुर्जमोहर तहसील अबोहर पंजाब।
10. कमला पुत्री स्व. श्रीमति लिक्षमा पत्नी श्री पतराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम फतेहगढ़ खिलेरीवास तहसील व जिला हनुमानगढ़।
11. सीता पुत्री स्व. श्रीमति लिक्षमा पत्नी श्री दलीप कुमार जाति मेघवाल निवासी ग्राम फतेहगढ़ खिलेरीवास तहसील व जिला हनुमानगढ़।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:07:52 IST
Reason: SelfAttested

12. तारुराम पुत्र स्व. श्री खेताराम जाति मेघवाल निवासी चक 3 जी.एम.डी. (धमण्डिया) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थित :–

1. श्री बाबूलाल चाण्डक एडवोकेट – प्रार्थीगण
2. श्री सुरेन्द्र सुथार एडवोकेट – अप्रार्थी नं. 1 ता 4 व 12
3. श्री राकेश मनचन्दा एडवोकेट – अप्रार्थी नं. 5 व 7 ता 11
4. पेरोकार राज नायब तहसीलदार – अप्रार्थी नं 13

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 15/09/2020

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता/ससूर/दादा श्री खेता पुत्र श्री लाधु जाति मेघवाल के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान चक 3 जी.एम.डी. के पत्थर नं. 72/313 में किला नं. 1 ता 25 में 25.00 बीघा कमाण्ड रकबा स्व.अर्जित खातेदारी था। प्रार्थीगण के पिता/ससूर/दादा श्री खेता पुत्र श्री लाधु जाति मेघवाल ने अपने जीवनकाल में अपनी उक्त स्व.अर्जित खातेदारी कृषि भूमि की बाबत दिनांक 11.05.2015 को एक रजि. दस्तावेज वसीयतनामा निष्पादित किया था। जिसका विधिवत् पंजीयन दिनांक 11.05.2015 को तत्कालिन उप–पंजीयक सूरतगढ़ के द्वारा किया हुआ है। प्रार्थीगण के पिता/ससूर/दादा स्व. श्री खेता पुत्र श्री लाधु के उक्त वारिसान में से एक पुत्री लिक्षमा का देहान्त हो चुका है। इसलिए उसके स्थान पर उसके वारिसान को अप्रार्थी नं. 6 ता 11 है। प्रार्थीगण के पिता/ससूर/दादा स्व. श्री खेता पुत्र श्री लाधु के एक पुत्र बनवारीलाल का भी दिनांक 01.03.2018 को देहान्त हो चुका है। इसलिए उसके स्थान पर उसके वारिसान प्रार्थी नं. 2 ता 5 है। प्रार्थीगण के पिता/ससूर/दादा खेता पुत्र लाधू ने अपने जीवनकाल में ही अपनी स्व.अर्जित खातेदारी कृषि भूमि चक 3 जी.एम.डी. के पत्थर नं. 72/313 में किला नं. 1 ता 25 में 25.00 बीघा कमाण्ड को रजि. वसीयतनामा के दिनांक 11.05.2015 को अपने तीनो पुत्रो क्रमंश गोपालराम, बनवारीलाल, तारुराम के पक्ष में ब.हि.बराबर निष्पादित कर दी थी। जिसकी तायद में निवेदन किया की वाद के निर्णय तक जैर प्रकरण रकबा वाके चक 3 जी.एम.डी. के पत्थर नं. 72/313 में किला नं. 1 ता 25 में 25.00 बीघा रकबा को किसी प्रकार सं रहन, बैय अथवा हस्तान्नतरण न करे एंव मौका एंव रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी गई। दिनांक 24.09.2018 को जैर प्रकरण रकबा को रहन, बैय व हस्तान्नतरण न करे का स्थगन आदेश जारी किया गया। अप्रार्थी नं. 1 ता 4 तरफ से श्री सुरेन्द्र सुथार एडवोकेट हाजिर आये व अप्रार्थी नं. 7 ता 11 व 5 की तरफ से श्री राकेश सारस्वत् एडवोकेट

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:07:52 IST
Reason: SelfAttested

हाजिर आये व जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी नं. 1 ता 4 की तरफ से जबाब प्रार्थना पत्र पेश नही करने पर जबाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। तथा अप्रार्थी नं. 6 बार–बार आवाज लगाने पर उपस्थिति नही होने पर एक तरफा कार्यवाही की गई। दिनांक 04.09.2020 को पत्रावली वास्ते बहस पर होने से उसी दिन अप्रार्थी नं. 1 ता 4 की तरफ से जरिये वकल आदेश 08 नियम 01 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। लिखित कथन/बहस अप्रार्थी नं. 1 ता 4 की तरफ से पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी नं. 1 ता 4 की तरफ से लिखित कथन में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को इन्कार करते हुये निवेदन किया की जैर प्रकरण रकबा हम अप्रार्थी नं. 1 ता 4 के पिता खेता पुत्र लाधुराम को संयुक्त परिवार की हैसियत से रकबा प्राप्त हुआ है। इसलिए जैर प्रकरण रकबा सहदायी सम्पति है जिसमे अप्रार्थी नं. 1 ता 4 व 12 का कानूनी हक व हिस्सा है। मौका पर जैर प्रकरण रकबा विरास्तन में हम खेताराम के वारिसो के नाम हिस्सनुसार खातेदार दर्ज हो चुका है। नियमानुसार खातेदार के खिलाफ स्थगन जारी नही किया जा सकता तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वसीयत की तायद में ना तो गवाहो के शपथ पत्र पेश किये गये व ना की वसीयत के बाबत प्रोबेट जारी किया गया है। वसीयतनामा का अगर प्रार्थीगण को ज्ञान था तो विरास्तन इन्तकाल दर्ज होने के उपरान्त क्यों पेश की गई तथा अप्रार्थी नं. 1 ता 4 व 12 को उक्त वसीयत के बाबत हमारे पिता ने कतई अवगत नही करवाया तथा अपने जीवनकाल में ही घरु बंटवारा करके हिस्सानुसार भूमि का कब्जा सौप दिया था। तथा उक्त भूमि को हम अप्रार्थीगण व खेताराम के अन्य वारिसो ने सहदायी सम्पति होने से संयुक्त रुप से सुधार का काबिल काश्त किया है। अब प्रार्थीगण तथाकथित वसीयत के आधार पर हम अप्रार्थीगण को बेदखल करने व अपने हको से महरुम रखने के लिए यह प्रार्थना पत्र/वाद प्रस्तुत किया है। मौका पर हम अप्रार्थीगण खातेदार कृषक है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी से पूर्णतया साबित है।

अधिवक्तागण प्रार्थीगण की बहस सुनी गई व अप्रार्थी नं. 1 ता 4 की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 08 नियम 01 सी.पी.सी. बहस के दौरान पेश होने पर प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. की फाईनल बहस दिनांक होने से अप्रार्थी नं. 1 ता 4 के तरफ से पेश आदेश 8 नियम 1 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है व अप्रार्थी नं. 1 ता 4 व 12 की तरफ से पेश लिखित कथन/बहस को शामिल मिसल किया जाता है। लिखित कथन/बहस व प्रार्थीगण के प्रस्तुत दस्तावेजो का गहनता अवलोकन किया गया। अवलोकन के प्श्चात पाया गया की अप्रार्थीगण खातेदार कृषक है। खातेदार के खिलाफ स्थगन आदेश दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. निरस्त फरमाया जाता है तथा पूर्व में जारी एक तरफा स्थगन आदेश दिनांक 24.09.2018 को निरस्त समझा जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
सूरतगढ़

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:07:52 IST
Reason: SelfAttested